झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आदेश

सं०–06/आ०प्र० (COVID-19)–01/2020 (Part) CS,-254 राँची, दिनांक 02/4/2020

विषयः– **COVID-19 संक्रमण के प्रभाव से बचने हेतु विभिन्न Task Force के गठन के संबंध में।**

अंतर्राष्ट्रीय जन समुदाय कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से प्रभावित हुआ है। भारत के विभिन्न राज्यों में COVID-19 से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान भी हुई है। झारखण्ड राज्य में अब तक इस बीमारी से प्रभावित दो मरीजों की पुष्टी हुई है। यह संक्रमण राज्य के आमजन को कम से कम प्रभावित करे, यह सुनिश्चित करने के लिए तीव्रता के साथ एहतियातिक कदमों को उठाना अतिआवश्यक है। COVID-19 के लिए सामाजिक स्वास्थ्य निगरानी के तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ–साथ संक्रमित व्यक्ति के पृथकीकरण, चिकित्सीय सेवा तथा परीक्षण पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राज्य की COVID-19 testing प्रणाली को और व्यापक तथा त्वरित बनाना महत्वपूर्ण है। संभावित संक्रमण की परिस्थित में व्यक्ति को Home Quarantine/Government Quarantine के प्रोटोकॉल के अन्तर्गत रखने हेतु सुचारू प्रणाली बनाना जरूरी है। इस परिस्थिति में संबद्ध चिकित्सीय, पाराचिकित्सीय एवं अन्य आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मियों एवं पीड़ीत मरीजों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में Mask, PPE, Ventilator एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता एवं सतत् आपूर्ति भी सुनिश्चित करनी होगी। ये सारी व्यवस्था करने के लिए विभिन्न Task Force का गठन करना अतिआवश्यक प्रतीत होता है।

2. इस बीमारी के संक्रमण को रोकने हेतु Social Distancing के सिद्धांत को भी कड़ाई से लागू करना आवश्यक है। इसके लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आदेश सं.–62 दिनांक–16.03.2020 तथा आदेश सं0.–98 दिनांक–22.03.2020 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा पत्रांक–2121 दिनांक–24.03.2020 निर्गत किया गया है। विभिन्न राज्यों द्वारा इस संबंध में निर्गत आदेशों में एकरूपता नहीं होने के फलस्वरूप भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा Disaster Management Act, 2005की धारा 6(2)(i)एवं धारा 10(2)(I)के तहत् दिनांक–24.03.2020 को पूरे देश में Lockdown लागू करने के लिए दिशा निर्देश तथा आदेश निर्गत किया गया है, जिसकी प्रति अनुपालन हेतु सभी विभागीय सचिवों तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को मुख्य सचिव के पत्रांक–231 दिनांक–25.03.2020 द्वारा भेजी गई है। इस पत्र के द्वारा उपर अंकित स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के दो आदेशों एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के एक पत्र को निरस्त कर दिया गया। Lockdown के संबंध में भारत सरकार द्वारा तीन और आदेश निर्गत किये गये हैं, जिसकी प्रति सभी संबंधित को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्रांक–248, दिनांक–30.03.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है।

3. COVID-19 के संक्रमण के फैलाव के रोकथाम, ईलाज, प्रचार प्रसार तथा सूचनाओं के आदान–प्रदान तथा स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञापांक–149(HS) दिनांक–23.03.2020 द्वारा राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक कमेटियों का गठन किया गया है। इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न Task Force का गठन किया जाता है :–

State COVID-19 Response Task Force

क्र०सं०	नाम / पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री सुखदेव सिंह, मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	गृह सचिव	सदस्य
3.	श्री एम0 वी0 राव, पुलिस महानिदेशक–सह–महानिरीक्षक	सदस्य
4.	श्री के0 के0 खण्डेलवाल, अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग	सदस्य
5.	श्री अरूण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, खाद्य आपूर्ति वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	सदस्य
6.	श्री ए0 पी0 सिंह, प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग	सदस्य
7.	श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
8.	डॉ0 राजीव अरूण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय	सदस्य
9.	श्री अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग	सदस्य
10.	डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
11.	श्री मनीष तिवारी, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग	सदस्य सचिव

Task Force के दायित्व एवं कर्त्तव्यः–

1. COVID-19 के संबंध में भारत सरकार के द्वारा MHA एवं MHA के प्राधिकार के अधीन दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण।
2. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित करना।
3. COVID-19 से संबंधित राज्य की स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय संरचना के त्वरित सुदृढ़ीकरण, आपातकालीन प्रतिक्रियात्मक क्षमता संवर्द्धन के साथ साथ आवश्यक उपकरण, मानवबल संसाधन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था का अनुश्रवण।
4. COVID-19 की रोकथाम हेतु देशव्यापी Lockdown का झारखण्ड में अनुपालन का अनुश्रवण करना।
5. संक्रमण की गति को कम करने हेतु आवश्यक Social distancing सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण करना।
6. अन्य राज्यों में फँसे झारखण्ड के निवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था का अनुश्रवण।
7. अत्यावश्यक मेडिकल उपकरण तथा सामग्री के परिवहन की व्यवस्था का अनुश्रवण तथा अन्य अन्तर्राज्यीय बिन्दुओं पर भारत सरकार एवं अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करना।
8. देशव्यापी लॉक डाऊन के कारण प्रभावित राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सामाजिक वर्गों यथा किसानों, प्रवासी श्रमिकों, रसद व्यापारियों, खेतीहर मजदूर, वृद्ध, महिलाएँ इत्यादि के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के प्रभावी एवं बेहतर कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।
9. COVID-19 से संबंधित जानकारी का प्रसारण एवं जागरूकता, भ्रांतिपूर्ण अफवाहों पर नियंत्रण तथा शिकायत निस्तारण की प्रणाली को सुगम करना एवं सभी गतिविधियों का अनुश्रवण करना।
10. आवश्यक खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता का पर्यवेक्षण करना।
11. राज्य के नागरिकों को Lockdown के फलस्वरूप आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु स्थापित व्यवस्था का अनुश्रवण।

12. विभिन्न टॉस्क फोर्स, राज्य स्तर के विभिन्न विभाग, जिला के नोडल पदाधिकारी तथा जिलों से प्राप्त Reports का संग्रहण करना तथा समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना।
13. इस विषयक भारत सरकार द्वारा लिखित/VC में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

Medical Response Management Task Force

COVID-19 के संभावित संक्रमण की परिस्थिति में संक्रमित व्यक्ति की पहचान, चिकित्सीय देखभाल, पृथकीकरण तथा जाँच हेतु आवश्यक संसाधन, चिकित्सीय प्रणाली, प्रशिक्षण तथा सांस्थिक संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। संक्रमित व्यक्ति की देखभाल में संबद्ध चिकित्सीय, पाराचिकित्सीय तथा अन्य सेवाकर्मी की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन कार्यों के निष्पादनार्थ निम्नांकित Task Force का गठन किया जाता है :–

क्र०सं०	नाम/पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री नितिन मदन कुलकर्णी, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री अबू बकर सिद्दिकी, सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	सदस्य
3.	श्री शैलेश चौरसिया, मिशन निदेशक, NRHM	सदस्य
4.	श्री उमा शंकर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5.	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य सचिव
6.	निदेशक, RIMS	सदस्य
7.	भारतीय चिकित्सा संघ, झारखण्ड इकाई के प्रतिनिधि	सदस्य

Task Force के दायित्व एवं कर्त्तव्यः–

1. राज्य में COVID-19 अस्पताल को चिन्हित करते हुए अधिसूचित करना।
2. COVID-19 अस्पतालों में निर्धारित मानकों के अनुरूप अधिकतम क्षमता के लिए चिकित्सीय व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. COVID-19 अस्पताल में मानकों के अनुरूप मेडिकल उपकरण, उपभोज्य सामग्री, आवश्यक सेवाएँ (चिकित्सीय एवं अन्य), मेडिकल कचरा प्रबंधन, मानव संसाधन में क्षमता संवर्द्धन तथा चिकित्सीय प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
4. COVID-19 के Confirmed मामलों में संबंधित व्यक्ति का उचित परिवहन, जाँच, अस्पतालीकरण/आईसोलेशन एवं संबद्ध चिकित्सीय प्रबंधन में संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक प्राटोकॉल के अनुसार निष्पादन करना।
5. COVID-19 के Confirmed मामलों से संबंधित कार्य में लगे सभी कर्मियों का सघन प्रशिक्षण, मॉक–ड्रिल तथा पर्याप्त उपकरण भण्डारण (Stocks) सुनिश्चित करना।

6. Quarantine Centre एवं Isolation Ward में आवश्यक सुविधाएँ (खाद्य आपूर्ति सेवा, स्वच्छता, मनोरंजन, चिकित्सीय जाँच इत्यादि), मानव बल संसाधन एवं आधारभूत संरचना की व्यवस्था कर इन्हें चालू अवस्था में रखना।
7. आवश्यक उपभोज्य (Consumable), मेडिकल उपकरण (Ventilator, CPAP मशीन, मॉनिटर्स, Hand held Thermometers), मान्यता प्राप्त परीक्षण किट तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का क्रय, गमनागमण (Interstate & Intrastate Logistic) तथा आपूर्ति श्रृंखला में यथा संभव गति प्रदान करना।
8. उप कंडिका–7 के संबंध में टॉस्क फोर्स जिलावार तथा राज्य मुख्यालय में उपलब्ध Inventory का निरंतर अनुश्रवण करेगी तथा प्रर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी।
9. इन सामग्रियों के उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं, परिवाहकों तथा केन्द्र एवं अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर आपूर्ति की प्रक्रिया को सुचारू रखना।
10. राज्य में COVID-19 के नमूनों की जाँच में अधिकाधिक क्षमता वृद्धि करने हेतु कार्य योजना तैयार करना। वर्त्तमान में चालू मान्यता प्राप्त जाँच केन्द्रों एवं नमूना संग्रह प्रक्रिया में आवश्यक परीक्षण किट तथा अन्य सामग्री (VTM Kit, Cold Chain Boxes इत्यादि) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
11. COVID-19 के उचित प्रबंधन हेतु उक्त बिन्दुओं पर यथासंभव निजी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों, चिकित्सकों, रेड क्रॉस सोसाईटी, भारतीय चिकित्सक संघ, फार्मासिस्ट एवं स्वयं सेवक चिकित्सीय एवं पराचिकित्सीय समूहों के साथ मिलकर समेकित कार्य योजना बनाना।
12. COVID-19 के सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी तथा अन्य सूत्रों से एकत्रित जानकारी के आधार पर संभावित रूप से संक्रमित व्यक्तियों से सैम्पल एकत्रित करने, पुष्टीकरण के पश्चात् व्यक्ति के Isolation Ward में भर्ती होने, गंभीर मामलों में व्यक्तियों को COVID-19 अस्पताल में ईलाज हेतु भर्ती कराने संबंधी कार्य प्रणाली का पूर्ण पर्यवेक्षण तथा संचालन करना।
13. COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु (संस्थागत अथवा गैर संस्थागत) की स्थिति में मृत शव का निर्धारित मागदर्शिका के अन्तर्गत प्रबंधन सुनिश्चित करना।
14. उक्त बिन्दुओं पर गठित केन्द्र स्तरीय तथा जिला स्तरीय समितियों/टास्क फोर्स के साथ समन्वय स्थापित करना तथा जिला ईकाई को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
15. इस विषयक भारत सरकार द्वारा लिखित/VC में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।
16. आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त CSR/DMFT/अन्य स्वयंसेवी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सार्थक प्रयास करना।

Public Health Surveillance Task Force

COVID-19 के व्यापक संक्रमण (Local Transmission & Community Transmission) के रोकथाम हेतु संदिग्ध मरीजों की पहचान तथा COVID-19 के मरीज के सम्पर्क में आये। अन्य व्यक्तियों की पहचान एवं उनकी गत दिनों की यात्रा विवरणी के आधार पर सम्भावित सम्पर्क स्थलों की पहचान करना आवश्यक है। ऐसे सम्भावित व्यक्तियों को Home Quarantine तथा आवश्यक मामलों में Government Qarantine में रखना अनिवार्य है। संक्रमित COVID-19 व्यक्तियों के आवासीय स्थल के परिधि में Cluster Containmentकरने की आवश्यकता रहती है। इस संबंध में निम्नरूपेण Task Force का गठन किया जाता है :–

क्र०सं०	नाम/पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री नितिन मदन कुलकर्णी, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	अध्यक्ष

2.	श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग	सदस्य
3.	श्री अखिलेश झा, पुलिस उपमहानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड	सदस्य
4.	श्री राजीव कुमार, CEO, JSLPS	सदस्य
5.	श्री फैज अक अहमद मुमताज, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
6.	WHO द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
7.	श्री दिव्यांशु झा, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य सचिव

Task Force के दायित्व एवं कर्त्तव्यः–

1. जिला स्तर पर संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों का Home Quarantine Protocol, Cluster Containment Protocol, Contact Tracing Protocol तथा अन्य प्रणालियों का सघन गुणवत्ता पूर्वक प्रशिक्षण तथा नियमित Mockdrill सुनिश्चित करना।
2. Home Quarantine में नामित व्यक्तियों का संबंधित जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी करना तथा उल्लंघन की परिस्थिति में आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि Quarantine व्यक्ति का किसी भी रूप में सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जा रहा है तथा उसे आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ यथा सम्भव घर पर ही उपलब्ध हो रही है।
4. Home Quarantine हेतु आवश्यक Geo Location प्राप्त करने हेतु यथा आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करना तथा इस संबंध में भारत सरकार की ईकाईयों से समन्वय स्थापित करना।
5. Contact Tracing हेतु जिला प्रशासन, नगर निकाय, पंचायती राज संरचना, गैर सरकारी इकाईयाँ इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित करना।
6. संबंधित कार्यों में डाटा संग्रहण, डाटा विश्लेषण तथा डाटा हस्तांतरन हेतु यथाआवश्यक टीमों का गठन तथा प्रशिक्षण।
7. उपलब्ध मार्ग दर्शिका के अनुरूप सम्भावित व्यक्तियों का Government Quarantine में भर्ती कराना तथा Quarantine Centre में आवश्यक परिचालक सेवाएँ (मेडिकल जाँच, खाना, स्वच्छता, मनोरंजन इत्यादि) उपलब्ध कराना। विदित हो कि इन केन्द्रों के अधिष्ठापन का कार्य Medical Response Management Task Force के अनुश्रवण में तथा परिचालन का कार्य Public Health Surveillance Task Forceके अनुश्रवण में किया जाएगा।
8. Medical Response Management Task Force से प्राप्त संक्रमित व्यक्तियों की सूची के आधार पर Contact Tracing का कार्य सुनिश्चित करना तथा Cluster में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्य सुनिश्चित करना।
9. ग्राम स्तर पर होने वाली कोई भी न्यूमोनिया Pneumonia Breath संबंधित बीमारी के कारण असामयिक मृत्यु का त्वरित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
10. उक्त कार्य में आवश्यक रक्षात्मक परिधान, उपकरण जैसे Hand held Thermometers की उपलब्धता तथा रोगी वाहन की संबद्धता सुनिश्चित करना।
11. इस विषयक भारत सरकार द्वारा लिखित/VC में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

Lockdown Implementation Task Force

Lockdown के संबंध में भारत सरकार द्वारा Disaster Management Act, 2005के अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर सुधारात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई भी की जानी है। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि में निर्गत किये जा रहे Passes का पर्यवेक्षण करना तथा इस संबंध में प्राप्त Public Grievances का तीव्र निराकरण भी आवश्यक है। इस हेतु निम्नरूपेण Task Force का गठन किया जाता है :–

क्र०सं०	नाम / पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री के० के० खण्डेलवाल, अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री कमल किशोर सोन, सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
3.	श्री विनय चौबे, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
4.	श्री आर.के. मलिक, अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड	सदस्य
5.	श्री मनीष तिवारी, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग	सदस्य सचिव

Task Force के दायित्व एवं कर्त्तव्यः–

1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Lockdown से संबंधित आदेश सं०–40-3/2020-DM I(A) दिनांक–24.03.2020 में अंकित के दिशा निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. भारत सरकार के NDMA, गृह मंत्रालय एवं Cabinet सचिवालय से निर्गत विभिन्न आदेश एवं दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। इस हेतु समिति जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वरीय पदाधिकारी/पदाधिकारी के सतत् संपर्क करना एवं समन्वय स्थापित करना।
3. संक्रमण की गति को कम करने हेतु आवश्यक Social distancing सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. आवश्यकतानुसार लॉकडाउन से संबंधित विषयों पर भ्रम की स्थिति होने अथवा जिलों से प्राप्त पृच्छा के आलोक में भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करना।
5. सीमावर्ती राज्यों के साथ विभिन्न विषयों यथा मालवाहक वाहनों का परिचालन सुनिश्चित कराने तथा व्यक्तियों का आवागमन रोकने हेतु सहयोग के लिए समन्वय स्थापित करना।
6. अन्य Task Force के साथ समन्वय बनाकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष दूसरे राज्यों से सहयोग से संबंधित विषयों को रखना।
7. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न परिवहन एवं वितरण संबंधी बिन्दुओं का पर्यवेक्षण एवं उनका ससमय निराकरण सुनिश्चित करना।
8. लॉकडाउन के पश्चात् के Exit Plan का प्रस्ताव तैयार करना तथा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
9. गृह मंत्रालय Control Room को भेजे जाने वाली विभिन्न Reports को विहित प्रपत्र में ससमय भेजा जाना।
10. इस विषयक VC के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन कराना।

Supply Chain Management Task Force

राज्य में Lockdown की व्यवस्था लागू है। इसके फलस्वरूप राज्य में अन्य राज्यों से आनेवाली आवश्यक वस्तुओं की मात्रा में भारी कमी आई है। राज्य के अन्दर भी मालवाहक गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होने से कई जिलों में आवश्यक सामग्रियों की कमी हो सकती है। अतएव आमजनों के लिए पर्याप्त आवश्यक सामग्रियों विशेषकर गेहूँ, चावल, आँटा, चीनी, नमक, मशाले, घी, तेल तथा LPG इत्यादि की प्रर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्नरूपेण Task Force का गठन किया जाता है –

क्र०सं०	नाम / पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री अरूण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री राहुल शर्मा, सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	सदस्य
3.	श्री अमिताभ कौशल, सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	सदस्य
4.	श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
5.	श्री के० रवि, सचिव, परिवहन एवं नागर विमानन विभाग	सदस्य
6.	श्री छवि रंजन, निदेशक, कृषि	सदस्य सचिव

Task Force के दायित्व एवं कर्त्तव्यः–

1. राज्य में आवश्यक वस्तुएँ यथा गेहूँ, चावल, आँटा, चीनी, नमक, मसाले, घी, तेल तथा LPG इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस हेतु राज्य स्तर के थोक विक्रेताओं, व्यापारी संगठनों आदि से निरन्तर समन्वय बनाए रखना एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु उचित कदम उठाना।
2. आवश्यक वस्तुओं के सम्भावित अभाव की गणना करना एवं उसकी आपूर्ति की कार्य योजना तैयार कर आपूर्ति सुनिश्चित करना। आवश्यकता पड़ने पर इनकी आपूर्ति हेतु दूसरे राज्यों से संपर्क स्थापित करना।
3. लॉकडाउन से आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति से संबंधित अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों (PTG/सुदूर परिवहन–सुविधा विहीन टोले) की पहचान करना एवं उनके समस्याओं के समाधान हेतु उचित कदम उठाना तथा सतत् आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करना।
4. PDS के माध्यम से खाद्य पदार्थों का ससमय उठाव सुनिश्चित करना।
5. सभी तरह के दाल भात केन्द्रों की स्थापना, प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दाल भात केन्द्रों एवं अन्य Community Kitchens की स्थापना करना।
6. उपायुक्तों से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार जरूरतमंदों के बीच सूखे राशन का वितरण सुनिश्चित करना।
7. उपरोक्त हेतु अतिरिक्त राशि की गणना करना एवं समेकित रूप से आपदा प्रबंधन प्रभाग से आवंटन की मांग हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
8. राजमार्गों पर मालवाहक वाहनों के चालक इत्यादि हेतु उचित दूरी पर खाद्य केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित करना एवं उनका संचालन एवं पर्यवेक्षण करना।

9. यह सुनिश्चित करना कि Lockdown के फलस्वरूप राज्य में प्रभावित गरीब एवं असहाय परिवारों के लिए यथासंभव खाने की व्यवस्था हो।
10. विभिन्न संगठनों द्वारा संचालित फूड केन्द्र/व्यवस्था/सूखा राशन वितरण को मैप करी क्षेत्र निर्धारण/संख्या निर्धारण करना तथा इस संबंध में उपायुक्तों को समुचित दिशा निर्देश देना। इस संबंध में CPSUs/PSUs/ संगठित निजी उद्योग/खनन उद्योगों द्वारा अपने क्षेत्र में किये जा रहे कार्य को भी मैप करेंगे ताकि डुप्लीकेशन न हो।
11. विभिन्न राज्यों से झारखण्ड में फंसे लोगों का स्थलीय विवरण तथा संख्या के आधार पर जिलावार आकलन कर उनको उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा तैयार करना तथा उचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
12. इस विषयक भारत सरकार से प्राप्त लिखित अथवा VC में प्राप्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना।

Welfare Measures Task Force

Lockdown के फलस्वरूप रोजगार उत्पन्न करने वाली विभिन्न गतिविधियां लगभग ठप हो गई है, जिसका कुप्रभाव भूमिहीन मजदूरों तथा बी.पी.एल. परिवारों पर पड़ा है। इस कुप्रभाव को कम करने के उद्देश्य से इस Target Group के लिए राज्य अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के तीव्र कार्यान्वयन तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए लागू की गई तथा की जाने वाली नई योजनाओं अथवा विशेष पैकेज के ससमय कार्यान्वयन हेतु निम्नरूपेण Task Force का गठन किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम/पदनाम	अभ्युक्ति
1	श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	अध्यक्ष
2	श्रीमती हिमानी पाण्डेय, सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-सह-सचिव, व्यय, योजना-सह-वित्त विभाग	सदस्य
3.	श्रीमती पूजा सिंघल, सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	सदस्य
3.	श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी, मनरेगा आयुक्त	सदस्य
4.	श्री मनोज कुमार, निदेशक, समाज कल्याण विभाग	सदस्य सचिव

Task Force के कर्त्तव्य एवं दायित्व :-

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य को प्राप्त होनेवाली अनुमानित विषयवार प्राप्तियों की गणना करना तथा इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. DBT द्वारा प्राप्त राशि की बैंको से निकासी के समय सुरक्षा तथा Social distancing की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।
3. विभिन्न वर्गों के पेंशन भोगियों को ससमय पेंशन वितरण सुनिश्चित करना।
4. लॉकडाउन के आदेश के अनुसार मनरेगा कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करना एवं ससमय मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना।
5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद सं०-468/2020 & 469/2020 में पारित आदेश यथा प्रवासी मजदूरों के लिए स्थापित राहत शिविरों एवं अन्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सीय सुविधा, मनोसामाजिक जरूरतें, खाना, शुद्ध पेयजल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

6. Supply Chain Management Task Force के साथ तथा उपायुक्तों के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. इच्छुक स्वयं सेवकों, NGO, UN Agencies आदि के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
8. इस विषयक भारत सरकार से प्राप्त लिखित अथवा VC में प्राप्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना।

Public Awareness and Grievance Redressal Task Force

COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम करने के लिए आमजनों में उचित प्रथाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इस संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी Electronic & Print Media के माध्यम से आमजन तक पहुँचाया जाना भी महत्वपूर्ण कार्य है। Lockdown में आ रही समस्याओं का निराकरण करना भ आवश्यक है। झारखण्ड में फँसे अन्य राज्यों के निवासियों को भी लॉक डाऊन के दौरान मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके राज्यों से एकाकीकृत समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। इसके अलावा सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त गै0स0प0सं0–1979 दिनांक–02.04.2020 के अनुपालन में राज्य स्तरीय Fact Check Unit की स्थापना करने की आवश्यकता है। इन कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु निम्नरूपेण Task Force का गठन किया जाता है :–

क्र०सं०	नाम / पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री राजीव अरूण एक्का, मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	अध्यक्ष
2.	श्री सुनील कुमार, सचिव (योजना), योजना–सह–वित्त विभाग	सदस्य
3.	श्री प्रशांत कुमार, सचिव, पंचायती राज प्रभाग, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4.	श्री राजीव लोचन बक्शी, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	सदस्य
5.	श्री भोर सिंह यादव, उत्पाद आयुक्त, उत्पाद–सह–मद्य निषेध विभाग	सदस्य
6.	श्री सुशांत गौरव, निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	सदस्य सचिव

Task Force के कर्त्तव्य एवं दायित्व :–

1. COVID-19 के संबंध में सघन आई0ई0सी0 अभियान का संचालन तथा Social Distancing सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक बदलाव हेतु प्रिंट मिडिया, सोशल मिडिया, स्थानीय भाषा में वीडीयो एवं ऑडियो क्लीप्स की रचना तथा इसका अधिकाधिक प्रचार–प्रसार।
2. COVID-19 के संबंध में दैनिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना तथा आवश्यकतानुसार उचित स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना।
3. राज्य स्तरीय Fact Check Unit की स्थापना करना तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर गठित सामरूपिक यूनिट के साथ समन्वय स्थापित करना।
4. प्रिंट एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित गलत सूचना / अफवाह / भ्रामक जानकारी पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई करना तथा ऐसे अफवाहों का त्वरित गति से खण्डन जारी करना।यदि कोई भी नकारात्मक प्राप्त सूचना तथ्यात्मक रहती है, वैसी परिस्थिति में संबंधित जिला अथवा विभाग से समन्वय स्थापित कर उचित कार्रवाई करना।

5. राज्य नियंत्रण कक्ष (181, श्रम विभाग अवस्थित प्रवासी श्रमिक कंट्रोल रूम, 104) का संचालन तथा अनुश्रवण एवं भारत सरकार के CPGRAMS पर प्राप्त शिकायतों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।
6. जिला नियंत्रण कक्ष तथा अन्य राज्यों के राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के सम्पर्क विवरणी तथा भारत सरकार स्तर पर गठित COVID-19 संबंधी कंट्रोल रूम की सम्पर्क विवरणी का संग्रहण।
7. प्राप्त शिकायतों के तीव्र निष्पादन हेतु समय एवं गुणवत्ता का मानकीकरण तय करना तथा इन मानकों के आधार पर जिला स्तर से शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित कराना।

उपर्युक्त अंकित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 181 Help line के साथ एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना सूचना भवन में की गई है। इस नियंत्रण कक्ष के संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–156(HS) दिनांक–24.03.2020 के द्वारा निम्न पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी तथा पदाधिकारियों का रोस्टर Task Force के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

क्र0	प्रभारी पदाधिकारी का नाम	मोबाईल संख्या
प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारी		
1.	श्री राज कुमार, उपाध्यक्ष, आर0आर0डी0ए0, रांची	9199270635
2.	श्री जटा शंकर चौधरी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	9431379632
3.	श्री उदय प्रताप, निदेशक, हथकरघा,	9430322820
4.	श्री शीशीर कुमार सिन्हा, आदिवासी कल्याण आयुक्त	7903163655
5.	श्री राम लखन गुप्ता, विशेष सचिव,योजना सह वित्त वि0	9431772173
6.	श्री विनय कुमार राय, निदेशक, पंचायती राज	9661956188
स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी		
1.	डा0 लक्ष्मण लाल, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, स्व0निदे0	9431175207
2.	डा0 मार्सल आईंद, उप निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय	9431426762
3.	डा0 जे0सी0दास, उप निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय	9931252838
4.	डा0 बिरेन्द्र प्रसाद, उप निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय	7061642238 / 9939228755
5.	डा0 यू0सी0 सिन्हा, उप निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय	9431520758
6.	डा0 ए0के0 मिश्रा, उप निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय	9523419400
पुलिस पदाधिकारी–		
1.	श्री अविनाश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, जैप–2	7004798370
2.	श्री मुकेश कुमार महतो, पुलिस उपाधीक्षक, जैप–2	9234600017 / 9431100017
3.	श्री अनिल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, पी0एच0क्यू0	9939270239
4.	मे0 मजरूल होदा, पुलिस उपाधीक्षक, जैप–2	6204173100
5.	श्री अशोक रविदास, पुलिस उपाधीक्षक, जैप–7,	6202455202
6.	श्री अमीत कच्छप, पुलिस उपाधीक्षक, आई0आर0बी0–5	9835327952

इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों में झारखण्ड मूल के प्रवासी मजदूरों को आ रही कठिनाईयों के समाधान हेतु नेपाल हाउस के तीसरे तल्ले पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। कार्मिक,

प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–2125 दिनांक–26.03.2020 द्वारा देश के दूसरे राज्यों में फंसे हुए झारखण्ड के प्रवासी नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु कुल 15 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति निम्नवत की गई है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।

क्र०	पदाधिकारी का नाम	संबद्ध राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1.	श्री विनय कुमार चौबे, भा.प्र.से.	दिल्ली
2.	श्री प्रशांत कुमार, भा.प्र.से.	हरियाणा
3.	श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा.प्र.से.	महाराष्ट्र
4.	श्रीमती हिमानी पांडे, भा.प्र.से.	राजस्थान, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, मेघालय
5.	श्री के0के0 सोन, भा.प्र.से.	गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा
6.	श्रीमती पूजा सिंघल, भा.प्र.से.	पंजाब
7.	श्रीमती आराधना पटनायक, भा.प्र.से.	उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड
8.	श्री अबु बकर सिद्दीकी, भा.प्र.से.	केरल
9.	श्री अजय कुमार सिंह, भा.प्र.से.	कर्नाटक, असम, गोवा
10.	श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, भा.प्र.से.	चंडीगढ़, जम्मू–कश्मीर, बिहार
11.	श्री अविनाश कुमार, भा.प्र.से.	तमिलनाडु, मध्यप्रदेश
12.	श्री राहुल पुरवार, भा.प्र.से.	ओड़िसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
13.	श्री के0 रवि कुमार, भा.प्र.से.	मणिपुर, मिजोरम, पुड्डूचेरी, छत्तीसगढ़, अंडमान–निकोबार, लक्षद्वीप
14.	श्री अमिताभ कौशल, भा.प्र.से.	पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, लद्दाख
15.	श्री राहुल शर्मा, भा.प्र.से.	तेलंगाना

सभी Task Force Committee आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से अनुरोध कर सकेंगे।

4. उपायुक्त जिला स्तर पर COVID-19 के रोकथाम हेतु प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार विषयवार Task Force का गठन कर सकते हैं।

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–2126, दिनांक–27.03.2020 के द्वारा राज्य के 24 जिलों में COVID-19 से संबंधित गतिविधियों के नियमित अनुश्रवण हेतु 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति निम्नवत की गई है।

क्र०	वरीय अनुश्रवण पदाधिकारी का नाम	अनुश्रवण पदाधिकारी	जिला का नाम
1.	श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा.प्र.से.	श्री कृपा नन्द झा, भा.प्र.से.	प० सिंहभूम, पू0 सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ
2.	श्रीमती आराधना पटनायक, भा.प्र.से.	श्रीमती विप्रा भाल, भा.प्र.से.	गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा
3.	श्री के0के0 सोन, भा.प्र.से.	श्री राजेश कुमार पाठक, भा.प्र.से.	गिरिडीह, कोडरमा, चतरा
4.	श्री के0 रविकुमार, भा.प्र.से.	श्री रमाकांत सिंह, भा.प्र.से.	जामताड़ा, गोड्डा, देवघर
5.	श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से.	श्री राजीव कुमार, भा.प्र.से.	लातेहार, खूँटी, रामगढ़
6.	श्रीमती पूजा सिंघल, भा.प्र.से.	डॉ0 माधव भारण सिंह, भा.प्र.से.	पलामू, गढ़वा, धनबाद
7.	श्री अमिताभ कौशल, भा.प्र.से.	श्री राजीव रंजन, भा.प्र.से.	साहेबगंज, पाकुड़, दुमका
8.	श्री विनय कुमार चौबे, भा.प्र.से.	श्री अबु इमरान, भा.प्र.से.	राँची, बोकारो, हजारीबाग

यह प्रतिनियुक्ति अगले आदेश तक जारी रहेगी। वरीय अनुश्रवण पदाधिकारी संबंधित जिले से समन्वय स्थापित कर State COVID-19 Response Task Force को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। अन्य Task Force अपने निर्धारित कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वाह के क्रम में उपरोक्त अनुश्रवण पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।

6. COVID-19 के प्रबंधन एवं रोकथाम हेतु उपरोक्त गठित सभी Task Force को राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

Sukhdev Singh
2/4/2020
(सुखदेव सिंह),
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–06 / आ०प्र० (COVID-19)–01 / 2020 254 (Part) CS, राँची, दिनांक–02-04-2020
प्रतिलिपिः– सभी Task Force के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sukhdev Singh
2/4/2020
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–06 / आ०प्र० (COVID-19)–01 / 2020 254 (Part) CS, राँची, दिनांक–02-04-2020
प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / पुलिस महानिदेशक–सह–महानिरीक्षक / पुलिस महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक / सभी उपायुक्त / सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक / सभी आरक्षी अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sukhdev Singh
2/4/2020
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–06 / आ०प्र० (COVID-19)–01 / 2020 254 (Part) CS, राँची, दिनांक–02-04-2020
प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sukhdev Singh
2/4/2020
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–06 / आ०प्र० (COVID-19)–01 / 2020 254 (Part) CS, राँची, दिनांक–02-04-2020
प्रतिलिपिः– गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ।

Sukhdev Singh
2/4/2020
मुख्य सचिव।